—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 33/2018

उनवान

1. रामकिशन पुत्र श्योनारायण, जाति जाट निवासी ग्राम कानपुरा, नसीराबाद
—— वादी :— जरियें अधिवकता श्री नौरतमल जैन

बनाम

1. कमला पत्नी छगन (तालोद) पुत्री छगना जाति जाट निवासी ग्राम मुण्डोती पोस्ट आकोडिया, तहसील अराई किशनगढ, अजमेर।
2. उप पंजीयक, नसीराबाद, अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 1 जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली
2 व 3 जरियें राज. पैरोकार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :— दिनांक :— 30.7.25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कानपुरा तहसील नसीराबाद में स्थित आराजी मुतनाजा का विवरण निम्न प्रकार है :—

वंर्किग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
1482	3—15—0	1738	0.61
2306	1—12—10	2114	0.26
2308	1—1—10	2113 2115	0.05 0.12
2309	0—13—0	2115	0.11
2743	1—0—0	2281	0.16
2744	0—10—10	2280	0.09
2810	4—18—0	4594	0.79
2833	3—7—10	4561	0.55
4015	0—1—0	3009	0.01
4016	3—0—0	3010	0.49

वादग्रस्त आराजी वंर्किग जमाबंदी में वादी के बडे पिता छगना पुत्र काना की खातेदारी की थी। तत्कालीन खातेदार छगना पुत्र काना [illegible] वादी के पक्ष में रूबरू गवाहान के वसीयतनामा दिनांक 28.01.2002 को नि[illegible] किया। वादी के बडे पिता का स्वर्गवास दिनांक 20.12.12 को हो गया है। जिसके स्वर्गवास के बाद वादी के पक्ष में की गई वसीयत प्रभावी हो गयी है। आराजी मुतनाजा पर [illegible] काना की मृत्यु के बाद वादी ही काबिज

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:04:15 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

काश्त चला आ रहा है। वादी के बडे पिता ग्राम कानपुरा में वादी के साथ निवास करते थे। परिवार के राशन कार्ड में वादी व उसकी पत्नी, माना, पिता के साथ छगना पुत्र काना का नाम भी दर्ज है। वादी ने छगना के जीवनकाल में समस्त सेवाऐ व जीवन की व्यवस्था की तथा स्वर्गवास के बाद छगना की पाग भी वादी को ही मौतबिरान के समक्ष बंधवाई गयी। किन्तु छगना की मृत्यु के बाद राजस्व अधिकारियों द्वारा वादी को बिना सूचित किये आराजी मुतनाजा नामान्तकरण संख्या 970 दिनांक 21.11.16 से प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में दर्ज कर दी। प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया गया उक्त नामान्तकरण प्रारंभ से ही शून्य है। आराजी मुतनाजा के त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण प्रतिवादी वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहा है व भूमि को अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः वादी को आराजी मुतनाजा का खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा प्रतिवादी संख्या 1 की पुश्तैनी खातेदारी की हैं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता छगना पुत्र काना ने कभी भी वादी के पक्ष में कोई वसीयत निष्पादित नही की। उक्त सम्पदा छगना की स्वअर्जित नही है अतः आराजी मुतनाजा की वसीयत नही की जा सकती है। छगना की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 1 कमला ही विधिक वारिस है। वादी को छगना द्वारा कभी भी गोद नही लिया गया, ना ही वादी के द्वारा छगना की सेवा व देखरेख की गयी। प्रतिवादी के पिता कभी भी वादी के साथ नही रहे वरन् प्रतिवादी संख्या 1 के साथ रहते थे। छगना की मृत्यु के बाद ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में आराजी मुतनाजा का नामान्तकरण दर्ज किया गया। वादी द्वारा उक्त वाद प्रतिवादी की पुश्तैनी जमीन को हडपने के लिये पेश किया है अतः वाद सव्यय खारिज किया जावे।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादग्रस्त आराजी वादी के बडे पिता द्वारा वसीयत किये जाने के कारण वादी खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है ?

—— वादी

2. आया वादी विरूद्व प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ?

—— वादी

3. आया वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी के पिता द्वारा कोई वसीयत नही किये जाने तथा प्रतिवादी की पुश्तैनी खातेदारी भूमि होने के कारण वाद खारिज योग्य है ?

—— प्रतिवादी संख्या 1

4. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख, वसीयत पत्र, राशन कार्ड, जाॅब कार्ड आदि व विक्रय पत्र पेश किये तथा वादी रामकिशन व गवाह रंगलाल का शपथ पत्र पेश किया।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने विक्रस पत्र अन्य दस्तावेज पेश किये व प्रतिवादी कमला व गवाह रामलाल व नौरत के बयान दर्ज करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी ने RLWपेज 637-649, AIR (2024) पेज 3767 – 3785 RRT (2019) पेज 113-116.RRT (2022)पेज 921-926 RRT (2018) [illegible]84[illegible]58, RBJ 29 (2022)पेज 496-500 RRT (2022)पेज 981-984 RRT (2009) [illegible]29-731 की नजीर पेश की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:04:15 IST
Reason: SelfAttested

——3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत नजीरों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया।

तनकी संख्या 1:–

वादी का कथन है कि आराजी मुतनाजा वादी के बडे पिता छगना पुत्र काना की खातेदारी की थी। तत्कालीन खातेदार छगना पुत्र काना ने स्वेच्छा पूर्वक वादी के पक्ष में रूबरू गवाहान के वसीयतनामा दिनांक 28.01.2002 को निष्पारित किया। वादी के बडे पिता का स्वर्गवास दिनांक 20.12.12 को हो गया है। जिनके स्वर्गवास के बाद वादी के पक्ष में की गई वसीयत प्रभावी हो गयी है। वादी के बडे पिता ग्राम कानपुरा में वादी के साथ निवास करते थे। परिवार के राशन कार्ड में वादी व उसकी पत्नी, माना, पिता के साथ छगना पुत्र काना का नाम भी दर्ज है। वादी ने छगना के जीवनकाल में समस्त सेवाऐ व जीवन की व्यवस्था की तथा स्वर्गवास के बाद छगना की पाग भी वादी को ही मौतबिरान के समक्ष बंधवाई गयी।प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा प्रतिवादी संख्या 1 की पुश्तैनी खातेदारी की हैं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता छगना पुत्र काना ने कभी भी वादी के पक्ष में कोई वसीयत निष्पादित नही की। उक्त सम्पदा छगना की स्वअर्जित नही है अतः आराजी मुतनाजा की वसीयत नही की जा सकती है। छगना की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 1 कमला ही विधिक वारिस है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा की वसीयत तत्कालीन खातेदार द्वारा अपने जीवनकाल में ही जरियें पंजीबद्व वसीयत वादी के पक्ष में निष्पादित की है। उक्त वसीयत के विरूद्व प्रतिवादी द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय में चाराजोही नही की है। तत्कालीन खातेदार द्वारा उक्त वसीयत के अतिरिक्त अन्य वसीयत व विक्रय पत्र भी निष्पादित किये है जो वादी व प्रतिवादी द्वारा पत्रावली में पेश किये गये है। आराजी मुतनाजा साबिक राजस्व अभिलेख में वसीयकर्ता के नाम ही खातेदारी दर्ज होना भी राजस्व अभिलेख से प्रमाणित है। वादी द्वारा प्रस्तुत राशन कार्ड में उसके परिवार के मुखिया का नाम छगना ही अंकित है। विधुत बिल में भी वादी का नाम रामकिशन पुत्र छगना ही अंकित है। वादीगण द्वारा उक्त वसीयत वंर्किग खसरा नम्बर के आधार पर कुल 19–19–10 भूमि की वादी के पक्ष में दिनांक 28.1.2002 को निष्पादित की है। उसी दिनांक को प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र सांवरा पुत्र छगना के नाम 4–17–0 भूमि की वसीयत की है। इसी प्रकार उक्त दिनांक को ही अपने भाई सुवा पुत्र काना के नाम भी 10–1–0 भूमि की वसीयत की हैं हाल राजस्व अभिलेख में छगना पुत्र काना के नाम कुल 5.66 है0 अर्थात 35–7–0 भूमि खातेदारी दर्ज थी। उक्त सम्पूर्ण भूमि नामानन्तकरण संख्या 970 दिनांक 21.11.16 से जरियें विरासत प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुयी है। प्रतिवादी संख्या 1 निर्विवाद रूप से तत्कालीन खातेदार छगना पुत्र काना की पुत्री है, उसके अतिरिक्त अन्य कोई जायन्दा वारिस मृतक छगना के नही होने के करण ही उसके द्वारा आराजी मुतनाजा की वसीयत वादी के पक्ष में निष्पादित की है। प्रतिवादी का कथन है कि उक्त आराजी पुश्तैनी होने के कारण छगना द्वारा वादी के पक्ष में वसीयत नही की जा सकती हैं साथ ही वसीयत के तथ्यो का भी अपने जवाब में खण्डन किया है किन्तु पंजीबद्व वसीयत की सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। मृतक छगना द्वारा एक ही दिनांक को वादी के साथ अपने अन्य रिश्तेदार के नाम भी अन्य भूमि की वसीयत निष्पादित की है। आराजी मुतनाजा वसीयतकर्ता के नाम ही खातेदारी दर्ज थी। प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब में अंकित कथनों के स[illegible]लेख पेश नही किया हे जिससे आराजी मुतनाजा छगना पुत्र काना की पु[illegible] होती हो। छगना द्वारा अपने नाम अंकित आराजी की अलग–अ[illegible]वादी संख्या 1 के पुत्र के नाम की है। छगना के नाम आ[illegible] 2 हिस्सा भी माना जावे तो भी उसके द्वारा वादी के पक्ष में सम्पूर्ण आराजी की वसीयत [illegible] कर 19–19–10 भ्भूमिकी ही वसीयत

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:04:15 IST
Reason: SelfAttested

——4

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

की है जबकि उसके नाम पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अनुसार लगभग 35–7–0 भूमि दर्ज थी, जिसका 1/2 हिस्सा भी 17–13–10 होता है अर्थात आराजी मुतनाजा को पुश्तेनी मानने पर भी छगना द्वारा 2–6–0 अधिक भूमि की वसीयत की है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आराजी मुतनाजा को पुश्तेनी सिद्व नही किया हैं दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी का कथन है कि प्रकरण में साक्ष्य द्वारा आराजी मुतनाजा को पुश्तैनी माना है किन्तु जो तथ्य राजस्व अभिलेख से सिद्व हो सकते है उन तथ्यों को मोखिक साक्ष्य से सिद्व करना न्यायोचित नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत चौसाला जमाबंदी में भी आराजी मुतनाजा छगना पुत्र काना के नाम ही दर्ज है। अतः भूमि पुश्तेनी सिद्व नही हो पाने व वसीयत पंजीबद्व होने के कारण वादी आराजी मुतनाजा पर वसीयत के अनुसार खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। विद्वान अधिवक्तावादी द्वारा प्रस्तुत नजीरे प्रकरण में चस्पा पायी जाती है। तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2ः–

तनकी संख्या 1 के विवेचन के अनुसार वादी आराजी मुतनाजा पर वसीयत के अनुसार खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। पूर्व में अराजी मुतनाजा के संबध में वादी व प्रतिवादी के मध्य विवाद है तथा आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी दर्ज है। अतः वाद बहुलता की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है। वादी विरूद्व प्रतिवादी स्थायी निषेघाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। तनकी बहक वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3 :–

प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा प्रतिवादी संख्या 1 की पुश्तैनी खातेदारी की हैं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता छगना पुत्र काना ने कभी भी वादी के पक्ष में कोई वसीयत निष्पादित नही की। उक्त सम्पदा छगना की स्वअर्जित नही है अतः आराजी मुतनाजा की वसीयत नही की जा सकती है। छगना की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 1 कमला ही विधिक वारिस है। पत्रावली पर उपलब्ध दसतावेज से स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा की वसीयत तत्कालीन खातेदार द्वारा अपने जीवनकाल में ही जरियें पंजीबद्व वसीयत वादी के पक्ष में निष्पादित की है। पंजीबद्व वसीयत की सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। उक्त वसीयत के विरूद्व प्रतिवादी द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय में चाराजोही नही की है। वादीगण द्वारा उक्त वसीयत वंकिंग खसरा नम्बर के आधार पर कुल 19–19–10 भूमि की वादी के पक्ष में दिनांक 28.1.2002 को निष्पादित की है। उसी दिनांक को प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र सांवरा पुत्र छगना के नाम 4–17–0 भूमि की वसीयत की है। प्रतिवादी का कथन है कि उक्त आराजी पुश्तैनी होने के कारण छगना द्वारा वादी के पक्ष में वसीयत नही की जा सकती हैं। किन्तु हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा वसीयतकर्ता के नाम ही खातेदारी दर्ज थी। प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब में अंकित कथनों के समर्थन में ऐसा कोई राजस्व अभिलेख पेश नही किया हे जिससे आराजी मुतनाजा छगना पुत्र काना की पुश्तेनी सिद्व होती हो। छगना द्वारा अपने नाम अंकित आराजी की अलग–अलग वसीयत वादी अपने भाई व प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र के नाम की है। छगना के नाम आराजी मुतनाजा की 1/2 हिस्सा भी माना जावे तो भी उसके द्वारा वादी के पक्ष में सम्पूर्ण आराजी की वसीयत नही कर 19–19–10 भूमिकी ही वसीयत की है जबकि उसके नाम पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अनुसार लगभग 35–7–0 भूमि दर्ज थी। वादी द्वारा प्रस्तुत चौसाला जमाबंदी में भी आराजी मुतनाजा छगना पुत्र काना के नाम ही दर्ज है। अतः भूमि पुश्तेनी सिद्व नही हो पाने व वसीयत पंजीबद्व होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:04:15 IST
Reason: SelfAttested

—5

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

के कारण वादी आराजी मुतनाजा पर वसीयत के अनुसार खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम कानपुरा की आराजी मुतनाजा पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता हैं। ग्राम कानपुरा के हाल खसरा नम्बर 1738 रकबा 0.61, 2113 रकबा 0.05, 2114 रकबा 0.26, 2115 रकबा 0.23, 2280 रकबा 0.09, 2281 रकबा 0.16, 3009 रकबा 0.01, 3010 रकबा 0.49, 4561 रकबा 0.55 व 4594 रकबा 0.79 का खातेदार वादी को घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:04:15 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

रामकिशन बनाम कमला

दावा बाबत :— 88, 188, 91, 92ए राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर —33/2018
पेश करने की दिनांक —14.03.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)—व हाजिर अभिभाषक नौरतमल जैन मुद्दई हीरालाल माली व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

ग्राम कानपुरा की आराजी मुतनाजा पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता हैं। ग्राम कानपुरा के हाल खसरा नम्बर 1738 रकबा 0.61, 2113 रकबा 0.05, 2114 रकबा 0.26, 2115 रकबा 0.23, 2280 रकबा 0.09, 2281 रकबा 0.16, 3009 रकबा 0.01, 3010 रकबा 0.49, 4561 रकबा 0.55 व 4594 रकबा 0.79 का खातेदार वादी को घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 30 माह 7 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:04:15 IST
Reason: SelfAttested